एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 15.03.2013 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

एकीकृत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु बोर्ड मुख्यालय में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित (2009) के अनुसार इस तरह की परियोजनाओं हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति लिए जाने का प्राविधान है। उक्त लोक सुनवाई के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय द्वारा सुनवाई की जन सूचना दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 13.02.2013 को प्रकाशित करायी गयी।

उपरोक्त अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जन सामान्य के अवलोकनार्थ एवं आपत्तियों हेतु जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल, जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत नैनीताल, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, नैनीताल, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, नैनीताल, ब्लॉक/खण्ड विकास अधिकारी, नैनीताल को पत्र वाहक के माध्यम से प्राप्त करा दी गयी थी।

उपरोक्त के क्रम नगर पालिका परिषद नैनीताल के सभागार में श्री विनोद गिरी गोस्वामी अपर जिलाधिकारी, नैनीताल की अध्यक्षता में दिनांक 15.03.2013 को प्रातः–11.00 बजे, लोक सुनवाई आहूत की गयी।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम श्री पी.के.जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी, यू.ई.पी.पी.सी.बी., हल्द्वानी द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपरजिलाधिकारी से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी। अपर जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी।

तदोपरान्त् क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा नगर पालिका के कन्सलटेन्ट, मै0 वाईन्टस सोल्यूशन प्रा0 लि0, के प्रतिनिधि डॉ0 आर.एस. मेहता व श्री आनन्द दुबे को परियोजना के सम्बन्ध मे प्रस्तुतीकरण देने को कहा।

डॉ0 आर.एस. मेहता व श्री आनन्द दुबे द्वारा स्लाईड शो के माध्यम से परियोजना के सम्बन्ध मे विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अपर जिलाधिकारी द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित स्थल के आस–पास के गांवों के ग्राम–प्रधान उपस्थित नहीं है। इस पर नगर पालिका के सहायक अभियन्ता श्री दिनेश शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि वह क्षेत्र नगर पालिका के अन्तर्गत आता है, जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा पुनः पूछा गया कि सम्बन्धित वार्डों के पार्षद उपस्थित नहीं है, जिसके प्रतिउत्तर में श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि सभी पार्षदों को सूचित कर दिया गया था। इसके पश्चात श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र में ऑपरेशन बटरफ्लाई के माध्यम से नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन किया जा रहा है।

प्रस्तुतीकरण की समाप्ति पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों से उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विचार रखने हेतु कहा गया। सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों में से निम्न लोगो ने अपने विचार रखें–

1. **श्री अभिषेक वाजपेयी, स्नो व्यू वार्ड, नैनीताल** द्वारा उक्त स्थल पर कूडे से जनित कीचड व पानी के निस्तारण के बारे में जानकारी चाही गयी। जिसके प्रतिउत्तर में डॉ0 मेहता द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के लीचेट जनित होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि उक्त स्थल का निर्माण नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हथालन नियम में दी गयी गाईडलाईन के अनुसार किया जा रहा है तथा जनित लीचेट व वर्षात के पानी को पुनः प्रोसेस किया जायेगा।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2. **श्रीमती कलावती मेहता, रूकुट कॉटेज, नैनीताल** द्वारा कहा गया कि ऑपरेशन बटर फ्लाई एन.जी.ओ. द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

3. **श्री प्रशान्त दिक्षित, आज दैनिक समाचार** पत्र के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि नगर पालिका क्षेत्र में कम संख्या में डस्टबीन स्थापित हैं। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नगर पालिका परिषद क्षेत्र में और डस्टबीन स्थापित किये जायें।

4. **श्री रवि पाण्डे, अमर उजाला, दैनिक सामाचार पत्र, नैनीताल** के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि नगर पालिका परिषद, नैनीताल द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्तारण नैनीताल के प्रवेश द्वारा पर किया जा रहा है। साथ ही श्री पाण्डे द्वारा यह भी कहा गया कि नैनीताल पर्यटन नगरी है, जिससे नैनीताल के पर्यटन व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु नगर पालिका उचित व्यवस्था करें। साथ ही श्री पाण्डे द्वारा कहा गया कि सरकार द्वारा जितनी धनराशि प्राप्त होती है। उसका सही तरह सक उपयोग नहीं किया जाता है। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि इस परियोजना में धन सही उपयोग किया जायेगा।

5. **श्री जाने आलम, नैनीताल** द्वारा परियोजना से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी चाही गयी। जिस पर श्री शर्मा द्वारा श्री जाने आलम को परियोजना के विभिन्न पहलूओं के बारे में जानकारी दी गयी।

6. **श्री महेन्द्र कुमार, नैनीताल,** द्वारा वार्ड नं0–7 का नगरीय ठोस अपशिष्ट नालियों के माध्यम से झील में निस्तारित किया जाता है। उक्त के प्रतिउत्तर में श्री शर्मा द्वारा कहा गया कि जनजागरूकता कर उक्त का निस्तारण किया जायेगा। साथ ही यह भी कहा गया कि उक्त उक्त समस्याओं के निराकारण हेतु उक्त परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

7. **श्री आनन्द सिंह मेहरा, मल्लीताल,** नैनीताल द्वारा कहा गया कि मॉस की दुकानों के आस–पास काफी गन्दगी होती है। दुकानों की धुलाई का पानी मैदान (फ्लैट) में जाता है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव स्थानीय लोगों पर पडता है। जिसके प्रतिउत्तर में नगर स्वास्थ्य अधिकारी, श्री मुन्ना लाल द्वारा कहा गया कि नालियों की नियमित सफाई की व्यवस्था की जा रही है।

उक्त सुनवाई के दौरान लगातार वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की गयी। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया कि यदि कोई लिखित या मौखिक रूप से कोई सुझाव या आपत्ति देना चाहें तो दे सकते हैं।

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी की अनुमति से दोपहर–1.00 बजे लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी। अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित सभी लोगों को आभार व्यक्त किया गया।

15.3.13

(एस.एस.चौहान)
वैज्ञा0 सहायक
यू.ई.पी.पी.सी.बी, हल्द्वानी।

15/3/13

(अमित पोखरियाल)
अवर अभियन्ता
यू.ई.पी.पी.सी.बी, हल्द्वानी।

(पी.के.जोशी) 15

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
यू.ई.पी.पी.सी.बी, हल्द्वानी।

(विनोद गिरी मो स्वामी)
अपर जिलाधिकारी, नैनीताल।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com